कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, उन्नाव।

पत्रांक 4271 / 29-1 दिनांक, उन्नाव, मार्च, 15 2016

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0 लखनऊ।

विषय :– जनपद उन्नाव में तहसील हसनगंज के ग्राम रजापुर वन ब्लाक की 0.064 हे0 आरक्षित वन भूमि पर रजापुर सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ :– आपके कार्यालय की पत्र संख्या–1604/11–सी–यू0पी0–031/2015 दिनांक 03.02.2016

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपके कार्यालय द्वारा जारी पत्र संख्या–1416/11–सी–यू0पी0–031/2015 दिनांक 07.01.2016 (छाया प्रति संलग्न है) के अनुसार संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं, जब कि उपरोक्त पत्र आप द्वारा प्रमुख सचिव वन, (वन) उ0प्र0 शासन, वन अनुभाग–2 लखनऊ को सम्बोधित तथा अधोहस्ताक्षरी को पृष्ठांकित है, जिसमें आप द्वारा शासन से विषयगत प्रस्ताव की प्रतियां उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि अधोहस्ताक्षरी को प्रस्ताव के निराकरण हेतु ना ही इंगित कमियां और न ही प्रस्ताव इ स कार्यालय को प्राप्त हुआ है।

अतः आपसे अनुरोध है कि विषयगत प्रस्ताव में शासन द्वारा लगाई गयी आपत्तियों का तथा प्रस्ताव की प्रतियां इस कार्यालय के श्री जगदीश चन्द्र डाकिया को उपलब्ध कराने की कृपा करें, ताकि विषयगत प्रस्ताव में इंगित कमियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध कराया जा सके।

<u>संलग्न :– उपरोक्तानुसार।</u>

भवदीय

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,
उन्नाव

पत्रांक 4271 /समदिनांक

1– प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, उ0प्र0 लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2– प्रतिलिपि अधिशाषी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–1, लोक निर्माण विभाग, उन्नाव को प्रेषित कि अपने प्रतिनिधि को नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय भेजकर विषयगत प्रस्ताव में इंगित कमियों के विषय में जानकारी प्राप्त कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें, जिससे कि प्रस्ताव को संशोधित किया जा सके।

3– प्रतिलिपि श्री रियाज अहमद, वरिष्ठ लिपिक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,
उन्नाव